

रेलवे कर्मचारियों की

हडताल

८ मई - २८ मई १९७४

37



23

संसद सदस्य दत्तोपंत ठेंगडी

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ

(६ जून १९७४ का नागपुर का भाषण)

रेल-कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होनेके बाद हम लोग पहिली बार मिल रहे हैं । रेल-हड़ताल शुरू होने के पूर्व हम लोग मिले थे, और उस समय जो विचार विनिमय हुआ उसके पिछे प्रस्तावित हड़ताल की पृष्ठभूमि थी । अब वह परिस्थिति नहीं रही है, अतः पृष्ठभूमि बदल गयी है । अब तो जो हड़ताल हुई उसके संबंध में ही विचार करना उचित होगा ।

सरकार ने हड़ताल प्रारंभ करवाई

इस बार रेल-कर्मचारियों की जो देशव्यापी हड़ताल हुई उसकी कई विशेषताएँ रहीं । पहिली विशेषता यह कि हड़ताल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व, सरकार ने अपनी ओर से दो सौ से अधिक यात्री-गाडियाँ रद्द कर, एक तरह से स्वयं ही हड़ताल का प्रारंभ कर दिया । रेलवे-कर्मचारियों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जब वार्ताओं का दौर चल रहा था तब सरकार ने कर्मचारियों की आड में से छह मांगों को स्वीकार करने में अनुकूलता बतलाई और शेष दो मांगों पर छह मई को सुबह १० बजे विचार करने का आश्वासन दिया । परन्तु आश्चर्य की बात है कि इसी दरमियान सरकार ने रेल-कर्मचारियों के नेताओं को गिरफ्तार कर, कर्मचारियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । अतः समझौता-वार्ता टूटने का दोष कर्मचारियों पर नहीं, सरकार पर है । देश के बड़े बड़े समाचार-पत्रों की सम्पादकीय-

टप्पणियों में लिखा गया कि समझौता-वार्ता भंग कर, सरकार ने रेल-कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया और ऐसी परिस्थिति में रेल-कर्मचारियों के सामने हड़ताल पर जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहा ।

अपने देश के इतिहास में इस तरह की हड़ताल पहले कभी नहीं हुई थी । सन् १९६० तथा १९६८ में तथा उसके पूर्व विभागीय स्तर पर हड़तालें हुई थीं, परन्तु वर्तमान हड़ताल के समान वे देश-व्यापी और विस्तृत नहीं थीं । इस हड़ताल को व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ । रेलवे-कर्मचारी इस हड़ताल पर गर्व कर सकते हैं ।

संयुक्त कारवाही

इस हड़ताल के संयोजन में 'नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवेमन्स स्ट्रगल' का कार्य सराहनीय रहा है । ११० युनियन्स इसके सदस्य हैं । प्रत्यक्ष अॅक्शन कमिटी के १३ सदस्य थे । इनपर ही समझौता-वार्ता का दायित्व था । सदस्यों में 'ऑल इंडिया रेलवेमन्स फेडरेशन', 'भारतीय रेलवे मजदूर संघ', 'ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस', 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन', कॉन्फिडरेशन ऑफ कैटेगरी-वाईज युनियन के प्रतिनिधि थे । संघर्ष समिति के सदस्यों ने सैद्धांतिक मतभेदों को भूलकर संघर्ष समिति के नाम पर सभी मजदूरों को एक मंच पर आने का आवाहन किया । समिति ने काफी सोच-विचार कर कुछ संकेत (Conventions) निश्चित किये जिससे सदस्यों की एकता कायम रह सके । यह एक उल्लेखनीय बात है कि 'संघर्ष समिति' ने अन्त तक संयुक्त कार्यवाही (United action) निभायी । इस प्रकार एक साथ कार्य करने का यह पहिला व्यापक प्रयोग था ।

आज तक भारत के ट्रेड युनियन के क्षेत्र में एकता की बात बहुत बार कही गयी और संयुक्त मोर्चे (United fronts) भी बने । १९६८ की केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल की समाप्ति के पश्चात् 'सेंट्रल ट्रेड युनियन्स ऑगनायजेशन' नाम से जो एक संयुक्त मोर्चा

बना वह समर्थन देने के लिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए नहीं। यह पहिला ही अवसर था जब प्रत्यक्ष हड़ताल के लिए इतने विभिन्न ट्रेड युनियन्स एकत्र आए। भारत के मजदूर-आंदोलन के इतिहास में ऐसी घटना पहिली बार हुई जो विशेष उल्लेखनीय बात है।

आत्म-संयम का पालन

अब इस तरह के संयुक्त मोर्चे की एकता को बनाये रखने में बहुतसी कठिनाईयां रहती हैं। एक लक्ष्य रहा तो भी विचारधारा, प्रवृत्ति आदि की भिन्नता रहती है। प्रत्येक घटक किसी न किसी राजनैतिक अखाड़े से बन्धा होता है। अतः एक साथ मिलकर काम करने में उन घटकों को बड़ी कठिनाई होती है। परन्तु भारतीय मजदूर संघ से संबंधित भारतीय रेलवे मजदूर संघ के लिए, संयुक्त मोर्चे में काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि वे जिस अखाड़े से आये हैं वहां वे आत्मानुशासन और अनुशासन के संस्कार ग्रहण कर चुके हैं। अन्य अखाड़ों से आए हुए युनियनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। उनके विचारों में 'डेमोक्रेटक' का अर्थ 'इन्डिसिप्लिण्ड' है। अब ऐसी जिनकी प्रवृत्ति है उन लोगों को मिलकर काम करते समय, आत्म-संयम का पालन करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, यह समझा जा सकता है।

जॉर्ज फर्नांडिस का प्रशंसनीय व्यवहार

परन्तु इस बार संघर्ष समिति के सदस्यों ने आत्मसंयम का परिचय दिया। यह बात नहीं कि कभी कभी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी न किसी ने कुछ अलग न कहा हो। इस दृष्टि से संघर्ष समिति के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विख्यात हैं, काफी हद तक अपने पर नियंत्रण रखा। हां, उन्होंने भी कुछ बातें अपने साथियों से सलाह-मशवरा लिए बगैर की। सरकार की ओर से १ मई को वार्ता के

लिए बुलाये जानेपर, 'मुझे रखनऊ जाना है, अतः बैठक में नहीं आऊंगा,' कह कर उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। 'International Transport Workers' Organisation' को उनके द्वारा प्रेषित तार भी उनकी स्वेच्छाचारिता का उदाहरण है। उन्होंने कारागार से प्रधान मंत्री को दो पत्र भेजे, रेल-मंत्री को भी पत्र लिखा। अब जो आत्म-संयम और अनुशासन के अखाड़े में शिक्षित हुए हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि यदि वे सब की सलाह से पत्र भेजते तो अच्छा होता। इन कुछ ऋटियों को छोड़ दे तो कहना पडेगा कि धीरे धीरे उन्होंने भी काफी हदतक संयम का परिचय दिया। इसके पश्चात उन्होंने संघर्ष-समिति को संदेश भेजा कि, 'आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे, अन्य कोई वक्तव्य हम लोग जेल से नहीं निकलवायेंगे।' इस निश्चय के अनुसार उन्होंने फिर व्यवहार भी किया। सचमुच यह बात प्रशंसनीय है।

संयुक्त संघर्ष समिति का दायित्व

भारतीय मजदूर संघ ने राजनैतिक ढंग से इस प्रश्न की ओर कदापि नहीं देखा। उसका दृष्टिकोण रहा कि ट्रेड यूनियन के सच्चे अर्थ में आंदोलन का विचार किया जाए। अलग अलग राजनैतिक विचार रखते हुए भी, मजदूरों को 'ट्रेड यूनियन' के सही माने में काम करना चाहिए। परन्तु, कुछ नेताओं को ऐसा करना संभव नहीं हुआ। समाचार-पत्रों के पढनेवालों को यह विदित हुआ होगा कि डांगेसाहब की बड़ी दुविधाजनक स्थिति रही। उनको अपने इच्छानुसार कार्य करने की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि हड़ताल 'कॉल ऑफ' करने का अधिकार किसी को भी नहीं था। संघर्ष-समिति को ही वह अधिकार था। केवल एक व्यवस्था यह रखी गयी थी कि आपात्-कालीन अवस्था में पूरी संघर्ष समिति-जो 'नॅशनल को ऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल' (N. C. C. R. S.) के नाते कार्य करने के लिए निर्माण हुई थी-के निर्णय N. C. C. R. S. की

परिषद में अनुमोदित हुए बगैर अन्तिम माने नहीं जाएँगे। यह स्पष्ट है कि जब तक संघर्ष समिति के या 'N. C. C. R. S.' के सारे सदस्य एकत्र नहीं आते तब तक हड़ताल वापस लेना संभव नहीं था।

मिलिटरी ऑपरेशन : अत्याचार

ऐसी परिस्थिति में रेल-कर्मचारियों की हड़ताल के अन्तिम दौर में जो कुछ हुआ उसका घटना-क्रम समझना आवश्यक है। हड़ताल के बारे में अलग अलग लोगों का भिन्न भिन्न असेसमेन्ट रहा हो, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। हमलोग भी सभी स्थानों की गतिविधियों की जानकारी लेते रहे। यह तो सर्वविदित है कि दि. ८ मई के पहिले ही हड़ताल शुरू हो गई थी। जैसा कि कलकत्ता, मद्रास विभागों में हुआ। हड़ताल के अन्तिम चरण में जहाँ एक ओर कई जगहों पर हड़ताली कर्मचारियों को जबर्दस्ती से काम पर ले जाया जा रहा था, वहाँ दूसरी ओर बहुत बड़े क्षेत्र में हड़ताल बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही थी। समूचा पूर्वीय क्षेत्र छिन्न-विच्छिन्न (Dislocated) था। सारे वर्कशाप आखिर तक संघर्ष करते रहे। मैं तो समझता हूँ कि बाकी रेलवे-कर्मचारियों का हौसला टूट भी जाता, तो भी केवल वर्कशाप के कर्मचारी अपना संघर्ष बराबर चलाते रहते। वर्कशापों में शत-प्रतिशत हड़ताल रही। हड़ताल को तोड़ने के लिए कम अत्याचार नहीं हुए। इसके बावजूद कर्मचारियों का मनोबल अच्छा रहा। अत्याचारों को देखते हुए कहना पड़ता है कि सरकार ने इस हड़ताल की ओर 'औद्योगिक विवाद' की दृष्टि से नहीं देखा। इसके पूर्व जो 'एल्. आय्. सी.' में हड़ताल हुई, या बीच में १५ मई को केंद्रीय सरकार के कुछ विभागों में आंशिक हड़ताल हुई, उसे औद्योगिक विवाद समझा गया। इस रेल-हड़ताल के प्रति सरकार ने जो रुख अपनाया, वह मिलिटरी ऑपरेशन जैसा लगा।

महिलाओं पर अत्याचार

हम लोगों ने जब रेलवे कॉलनियों को भेंट दी तो वहाँ एस्. आर्. पी. के जवानों की छावनियाँ देखीं। कई कॉलनियों में पुरुष-कर्मचारी बाहर चले गए थे। क्योंकि एस्. आर्. पी. के जवान किसी पुरुष-कर्मचारी को देख पाते तो उसकी जेल में रवानगी कर देते, या फिर बंदूक की संगीन दिखा कर कामपए ले जाते। इसी लिए पुरुष-कर्मचारियों ने क्वार्टरों में रहना छोड़ दिया था। एस्. आर्. पी. के जवानों द्वारा महिलाओं को पिटते हुए हम लोगों ने देखा। ऐसी भार-पीट के कारण कई महिलाओं के सर भी फट गये। महिलाओं पर क्या क्या जुल्म ढाये गये, उन्हें यहाँ कहा नहीं जा सकता। अब तक स्वतंत्र भारत ने जितनी भी लड़ाईयाँ लड़ी उसमें सरकार ने जो भी बहादुरी दिखाई, हम निश्चय से कह सकते हैं कि उससे कहीं अधिक बहादुरी अपने कर्मचारियों के साथ लड़ते समय उसने दिखायी! इसके बावजूद रेलवे-कर्मचारियों का हीसला नहीं टूटा और वे अडिग रहे। एक दिन नहीं तो २० दिन तक, —और जो दो तारीख से हड़ताल पर गये वे लगभग एक माह तक— इतनी लंबी अवधि तक हड़ताल जारी रखना रेलवे-कर्मचारियों के लिए प्रशंसनीय बात है!

प्रधान मंत्री का 'रोल'

सन १९६० और सन् १९६८ में हुई केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के समय, प्रधान मंत्री ने वह रुख नहीं अपनाया था जो युद्धजन्य परिस्थिति में सारे सूत्र अपने हाथ में लेकर युद्ध का संचालन राष्ट्र का नेता करता है। उस समय तो पीछे रहकर ही उन्होंने मार्गदर्शन किया था (Back Seat driving)। औद्योगिक विवाद मानकर ही उस प्रश्न को निगटारा गया था। इस वक्त हमारी प्रधान मंत्री, मानो वे किसी मिलिटरी ऑपरेशन का संचालन कर

रही हैं इस आविर्भाव से, हाथ में हथियार ले, सबके सामने उपस्थित हुईं। यह भी इस बार हुई हड़ताल की विशेषता रही।

डांगेसाहब

की भूमिका

इन घटना-क्रमों से डांगेसाहब को यह लगा हो कि अधिक समय तक हड़ताल जारी रखना ठीक नहीं है। अब उन्होंने जिस आधार पर यह मत बनाया होगा उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि हर एक का 'असेसमेन्ट' भिन्न रह सकता है। कोई भी निष्कर्ष, सामने जो डाटा, फॅक्टस् और फिगर्स रहते हैं उनके आधार पर निकाला जाता है। अतः डांगेसाहब को जो कुछ जानकारी मिली उसके आधार पर उन्होंने अपना असेसमेन्ट अलग किया। अब संघर्ष समिति (अॅक्शन कमिटी) में से N. C. C. R. S. को अलग रखकर हड़ताल वापस लेने का अधिकार किसी को नहीं है, यह डांगे जानते थे। इस लिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमें हड़ताल वापस लेने का अधिकार नहीं है और हम अॅक्शन कमिटी के बाहर जाना भी नहीं चाहते। हम एकता बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि हम कमिटी के इन्व्हायटीज हैं। परन्तु चूंकि मजदूरों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं, वे चाहेंगे कि गुटशः (ग्रुप बाय ग्रुप) और क्षेत्रशः (झोन बाय झोन) सब रेलवे कर्मचारी निर्णय करें। और वे जो भी निर्णय करेंगे उसका हम पूरा पूरा साथ देंगे। डांगेसाहब ने यह जो वक्तव्य दिया, वह संसार के ट्रेड युनियन आंदोलन के इतिहास में बिलकुल अनूठा कहा जा सकता है। क्योंकि जब हड़ताल चल रही हो, उस समय हड़तालियों के नेताओं में से एक नेता यह कहे कि भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, यदि आप लोग चाहें तो हड़ताल वापस ले सकते हैं, तो वह बात अभूतपूर्व ही होगी। अब ऐसा वक्तव्य बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है। परन्तु यह निश्चित है कि 'ट्रेड युनियन' के इतिहास में वह वक्तव्य अपने ढंग का पहला है। उक्त स्टेटमेन्ट देने के बाद भी डांगेसाहब ने यह कहा कि हम संघर्ष

समिति के हैं, हम संघर्ष समिति को तोड़ेंगे नहीं, हम आखिर तक एक रहेंगे। मैं समझता हूँ कि यह प्रशंसनीय है।

मतभेद भूलकर एकता का परिचय

मतभेदों के अवसर कई आए। रेलवे-कर्मचारियों के संघर्ष को सलाह-मशवरा देने के लिए एक बार सेंट्रल लेबर ऑर्गनायजेशन को बुलाया गया था। उसमें सी. पी. आय्. और सी. पी. एम्. के मतभेद प्रकट हुए। फिर भी दोनों ने काफी संयम रखा। अन्तिम समय में, जॉर्ज फर्नान्डिस तथा उनके अन्य चार साथियों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से हड़ताल वापस लेने का ड्राफ्ट जेल से भेजा गया था। उस समय अॅक्शन कमिटी के केवल चार लोग-भा. म. सं. के गोखले और पाठक, सी पी. एम्. के मुखर्जी और ऑल इण्डिया रेलवेमन्स फेडरेशन के प्रिय गुप्त-बाहर थे। समर मुखर्जी और प्रिय गुप्त दोनों ने उस ड्राफ्ट को अमान्य किया। परन्तु हमारे प्रतिनिधियों ने सोचा कि इस संघर्ष में जो एकता प्रकट हुई है उसे देखते हुए, यदि जेल में बन्द हमारे साथी कोई सुझाव हमारे पास भेजते हैं, तो उसे ठुकराने में क्या बहादुरी है? इससे दुनिया के सामने कौनसा दृश्य उपस्थित होगा?

भा. म. संघ की कार्यकारिणी का मत

उन्ही दिनों दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। हमारे प्रतिनिधियों ने कहा 'हम तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेंगे। हम ड्राफ्ट अपनी कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे और उनका जो मत होगा वह आपको बताएंगे।' हमारे प्रतिनिधि जैसे ही बैठक में से बाहर आए, पत्र-प्रतिनिधियों ने घेर लिया और पूछा, "क्या आप लोग वाँक आँउट कर रहे हैं?" हमारे प्रतिनिधियों ने कहा, "नहीं, हम अपने संघ की कार्यकारिणी की सलाह लेना चाहते हैं।" लगभग एक घन्टे के बाद हमारे प्रतिनिधि बैठक में लौट आए।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय मजदूर संघ ही एकमात्र श्रमसंस्था थी जिसने ऐसी परिस्थिति में भी अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलायी। हमारे प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कार्यकारिणी की इच्छा बतायी कि “एकता के व्यापक हित में हम लोगों को संयुक्त भूमिका निभानी चाहिए। यदि हमारे जेल में बन्द भाई कोई ड्राफ्ट भेजते हैं और हम उसको ठुकरा देते हैं तो दुनिया के सामने कौनसा चित्र उगस्थित होगा इस पर हम विचार करें।” अब सी. पी. आय. और सी. पी. एम्. की भूमिका अलग अलग होते हुए भी — जहां एक ओर सी. पी. एम्. के कार्यकर्ता आरोप लगाते थे कि सी. पी. आय. सरकार की पिठू है अतः वह कभी भी घोखा दे सकता है, वहां दूसरी ओर सी. पी. आय. के कार्यकर्ता कहते थे कि सीआयटू (C. I. T. U.) संघर्ष समिति में है तो सही, किन्तु रेलवे में उनकी कोई भी संलग्न युनियन न होने से, उन्हें कुछ भी दांव पर हारना नहीं है (They have no stakes)। इसलिए बड़ी बहादुरी की बात करने में उन्हें कोई अडचन नहीं। “Like Chutchill decrying that Great Britain will fight to the last drop of blood of the last Frenchman.” — हमारे प्रतिनिधियों का मत मालूम होते ही समर मुखर्जी और प्रिय गुप्त, दोनों ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने भी व्यापक हित में एकता बनाये रखने को स्वीकार किया। एकता की उपलब्धि, इस संघर्ष की एक विशेषता रही।

कर्मचारियों का मनोबल टूटा नहीं

इस संयुक्त कार्यवाही के कारण रेलवे कर्मचारियों का हीसला हड़ताल वापस लेने के बाद भी कायम है। मैं बम्बई, कलकत्ता, अहमदनगर, मुगलसराय, जोधपुर, बिकानेर, आदि स्थानों का दौरा कर आया हूँ। मैंने उन स्थानों पर कर्मचारियों के साथ बातचीत की। रेलवे कर्मचारियों पर हड़ताल के समय हुए अत्याचारों को देखते

कोई भी यह सोचता कि कर्मचारियों का हौसला टूट गया होगा। परन्तु हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कर्मचारियों पर कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ है। उल्टा हमने यह देखा कि उन्हें इस बात का गर्व है वे लम्बे समय तक लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ सके। यही नहीं, हमने यह भी देखा कि यदि सरकार नहीं मानती है तो दुबारा संघर्ष करने के लिए वे तैयार हैं। कर्मचारियों के मन में यही प्रबल भाव है कि अफसर हमें दबा नहीं सकते, सरकार हमें कुचल नहीं सकती, सरकार की मिलिटरी ऑपरेशन जैसी कार्रवाई की हमें पर्वाह नहीं, हम फिर लड़ सकते हैं। पहिले ऐसी बात हुआ करती कि लीडर-लोग कर्मचारियों को बताया करते थे परन्तु इस बार स्वयं कर्मचारी लीडरों को समझाने लगे कि चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। डण्डे संगीन के बल पर रेल चलाने का सरकार दावा करती है। ऐसा वह कितने समय तक कर सकेंगे? यदि हम लोगों ने हृदय से सहयोग नहीं दिया तो रेल चल नहीं सकती। इस प्रकार रेलवे कर्मचारियों को अपनी संगठित शक्ति का अनुभव हो रहा है और कहीं भी, 'डीमारलायजेशन' दिखाई नहीं दिया।

सरकार द्वारा अपप्रचार

इस आंदोलन के समय अपनी जो कमजोरियां दिखाई दी उस पर भी विचार करना जरूरी है। पहिली बात, हमारा संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं था। दूसरी बात सरकारी अपप्रचार का उत्तर देने के लिए उचित व्यवस्था का न होना। इसके कारण सरकार जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर पाती है। सरकार ने सन् १९६० और १९६६ की हड़तालों के समय जो बातें कहीं थीं वही इस बार भी कहीं। उसने कहा कि एक ओर तो खेतीहर मजदूरों, देशी कारीगरों, बेरोजगारों को खाने-पीने को नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर रेलवे कर्मचारी जिन्हे चार सौ ६. वेतन मिलता है, अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलिविजन

आदि प्रचार के माध्यमों से अपप्रचार किया। भारतीय मजदूर ने प्रारम्भ से ही सरकार के इस अपप्रचार का खण्डन करने का प्रयास किया। सरकार की बात तब तक सही होती जब संसार में केवल दो ही वर्ग होते—चार सौ रु. पानेवाले रेलवे कर्मचारी और भूखों मरने वाले दस करोड़ खेतीहर मजदूर। परन्तु क्या हमारे देश की ऐसी स्थिति है? हम तो देखते हैं कि दरिद्रता के महासमुद्र में संपन्नता के छोटे छोटे समूह हैं—“But in the ocean of poverty, there are islands of plenty.” अपने देश में ऐसे धनी लोग हैं जिनका बैंक बॉलन्स करोड़ों रुपयों का है। अकेले बिरला के पास ८३४ करोड़ रुपये हैं। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि एक आदमी बैंक में ८३४ करोड़ रु. रखे और कर्मचारी ४०० रु. से ४२५ रु. की मांग करें, तो लाखों खेतीहर मजदूर भूखों मरते कहकर उनकी बात को टाला जाए, यह कहां तक सुसंगत है? हमने यह भी कहा कि कर्मचारियों की मांगें वर्तमान राष्ट्रीय आय के सांचे में बैठती हैं या, नहीं इसकी सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। सेन्ट्रल एम्प्लॉईज फोरम ने तो इस आशय का खुला आवाहन प्रधानमंत्री को दिया भी था। सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई।

भा. म. संघ द्वारा राष्ट्रीय वेतन नीति की मांग

हम लोग पिछले दस वर्षों से यह मांग लगातार करते आ रहे हैं कि सरकार आर्थिक दलों—खेतीहर मजदूर, टेक्निकल कॅडर, उद्योग-पति, सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारी—की राउण्ड टेबुल कॉन्फरन्स बुलाये और उसमें राष्ट्रीय रोजगार नीति (National employment policy), राष्ट्रीय उत्पादकता नीति (National productivity policy), राष्ट्रीय मूल्य नीति (National prices policy) तथा राष्ट्रीय आय-वेतन नीति (National income wages policy) के संबंध में चर्चा की जाए। इस शास्त्रीय चर्चा के आधार पर पूरे देश के लिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आमदनी में अनुपात तय

किया जाए। भारतीय मजदूर संघ ने इस बात का बहुत आग्रह किया। इस हड़ताल के समय प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि राष्ट्रीय वेतन नीति की (National Wage Policy) आवश्यकता है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि पिछले दस वर्षों से भारतीय मजदूर संघ जो बात कहता आ रहा है वह कितनी शास्त्रशुद्ध है।

कर्मचारी मांगे : पैरिटी

रेल्वे कर्मचारियों की मांगों के संबंध में जनता को किसी प्रकार का विभ्रम न रहे इसके लिए उसे सही बातों का ज्ञान कराना आवश्यक था। दि. ३० अप्रैल को जॉब इव्हेंल्यूएशन, वर्किंग अवर्स, अन्न-धान्य पूर्ति, तथा अन्य बातों पर काफी समझौता हो चुका था। केवल दो बातों पर समझौता होता बाकी था। वैसे 'ट्रेड युनियन राईट' यह एक तीसरी बात भी थी। पहिली मांग थी पैरिटी (Parity) की। भारत 'आय. एन्. आय. ओ' का सदस्य है। 'आय. एन्. आय. ओ' ने यह संकेत स्वीकार किया है कि रेल्वे एक उद्योग है - (Railway is an Industry) अतः रेल्वे कर्मचारी को औद्योगिक कर्मचारी (Industrial worker) माना जाए। अब चूंकि भारत 'आय. एन्. आय. ओ.' का सदस्य है, उसे भी सरकारी प्रतिष्ठानों (Public Undertaking) में जिन्हे उद्योग माना जाता है, उनके कर्मचारियों को समान-श्रम के लिए समान वेतन स्वीकार करना चाहिए।

बोनस

दूसरी मांग बोनस की थी। बोनस की मांग के संबंध में कोई संभ्रम नहीं रहना चाहिए। बोनस को देरी से दी जानेवाली तनख्वाह के रूप में माना गया है। जब तक कर्मचारियों का प्रत्यक्ष वेतन जीवन-वेतन के स्तर पर नहीं आता तब तक बोनस लाभांश नहीं, तो

देरी से दी जानेवाली तनख्वाह है। बोनस-कानून में कहा भी गया है कि उद्योग घाटे में चलता हो तो भी बोनस दिया जाना चाहिए। अब यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे-कर्मचारियों को इससे क्यों वंचित रखा जाए। रेलवे कर्मचारियों की बोनस की मांग पूर्णतः न्यायोचित थी। वह गैरजिम्मेदार बात नहीं थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से यह भी कहा कि बोनस देने के लिए धन उपलब्ध के उपायों पर संयुक्त चर्चा करने के लिए वे तैयार हैं। मगर अफसोस है कि यह विषय जनता के सामने नहीं आ पाया। ३० अप्रैल को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कुरेशी साहब को सुझाव भी दिया था कि सरकार और कर्मचारियों की संयुक्त बैठक लेकर उसमें अर्थोपलब्ध के साधनों की (फायनान्शियल पॉसिबिलिटीज) खोज की जाए। इससे कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कुरेशी साहब ने इसे कबूल भी किया। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का व्यवहार पूर्णतः जिम्मेदारी का था। अक्शन कमिटी के सदस्यों ने समय समय पर वक्तव्य प्रकाशित कर रेलवे कर्मचारियों की मांगे कितनी उचित है यह जनता को समझाने का सहायनीय प्रयास किया।

सीमित प्रचार साधन

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए सरकारी साधनों का उपयोग करने का मौका कभी मिलता ही नहीं। परन्तु इस हड़ताल के समय कुछ मौका मिला। उसका ठीक ढंग से ही उपयोग हुआ। जैसे ही हड़ताल वापस लेने की घोषणा हुई, हमारे दोनों प्रतिनिधियों को-श्री. पाठक और गोखले - हड़ताल वापस लेने का आशय कर्मचारियों को समझाने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें वैसे मौका तब मिला। जब दि. २८ मई को रात्रि ८-१५ बजे दोनों को रेडियो पर भाषण देने को बुलवाया गया।

“सरकार का हौसला टूट रहा है”

भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री श्री. अमलदारासिंह जी को बम्बई में टेलिविहजन पर भेटवार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। उनसे काफी उलटे-सीधे प्रश्न पूछे गए। उनसे पहिला प्रश्न पूछा गया, “चारो ओर समाचार-पत्र कह रहे हैं कि मजदूरों का हौसला टूट रहा है, अतः इस संबंध में आपकी राय क्या है?” श्री. अमलदारासिंहजी ने तुरन्त जबाब दिया, “हौसला टूट रहा है, यह बात सही है, लेकिन मजदूरों का नहीं, सरकार का।”

लॉयल या बिकनेवाले

हडताल वापस लेने के तुरन्त बाद हमारे दिल्ली के एक कार्यकर्ता श्री मुल्कराज को टेलिविहजन भेंट-वार्ता के लिए बुलाया गया। पहिले उनके साथ प्रश्नोत्तर हुए। बाद में कुरेशीसाहब के साथ प्रश्नोत्तर होनेवाले थे। उनसे पूछा गया, “लॉयल वर्कर्स के बारे में आपकी भूमिका क्या है?” श्री मुल्कराजजी ने कहा, “आप उन्हें लॉयल (विश्वासाहं) कैसे कह सकते हैं, जो पाच-पचीस रुपयों के लिए अपने भाई की पीठ में छुरा भोंक कर काम पर जाने के लिए तैयार हुए। वे बिकनेवाले लोग हैं। जो आज यहां खरीदे जाते हैं शायद वही कल हमारे दुश्मनों से खरीदे जाएंगे! पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध का मौका आया तो इन कर्मचारियों पर कैसे भरोसा रखा जा सकता है? ‘हम लॉयल वर्कर हैं, देश के लिए, मिनिस्टर के लिए नहीं।’ इसके तुरन्त बाद टेलिविहजन पर कुरेशीसाहब से पूछा गया कि “श्री मुल्कराजजी ने लॉयल वर्कर्स के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में आपकी राय क्या है?” एक क्षण रुक कर उन्होंने कहा, “उन्होंने जो जवाब दिया उससे दिखता है कि वे कोई कर्मचारियों के नेता हैं। वास्तव में श्री मुल्कराजजी भी रेलवे कर्मचारी हैं।”

जनता की सहानुभूति

इस प्रकार सरकारी अपप्रचार को उत्तर देने का थोड़ा-बहुत मौका मिला, परन्तु कुल मिलाकर रेलवे-कर्मचारियों को सरकारी अपप्रचार के विरुद्ध अपनी प्रचार-यंत्रणा खड़ी करना कठिन हुआ। फिर भी इस संघर्ष में जनता की सहानुभूति आखिर तक रेल-कर्मचारियों के साथ रही। इसका एक ही कारण था कि जनता जान गई थी कि सरकार ने ही १ मई को कर्मचारियों के विरुद्ध आक्रमण घोषित कर उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य किया। मई मास में शादी-ब्याह का मौसम रहता है। वैसे भी सामान्य दिनों में रेलें खचाखच भरी रहती हैं। हड़ताल के कारण जनता की कितनी असुविधा हुई होगी हम समझ सकते हैं। हमें उनके प्रति सहानुभूति है। जनता को सरकार की आक्रमणकारी भूमिका का ज्ञान होने के कारण ही उसे रेल-कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रही।

हड़ताल एकता का पाठ : सबक सीखें

जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं—वे रेलवे के हों या सरकारी कार्यालयों के हों—उनका एक होना बहुत जरूरी है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सन् १९६८ और आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया है। सन् १९६८ में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गये थे, परन्तु रेल-कर्मचारी ठीक ढंग से हड़ताल पर नहीं गए। तब रेलवे कर्मचारियों में एकता का अभाव था। परन्तु पी. अॅण्ड टी., ऑडिट एण्ड अकाऊंट, इन्कम टॅक्स, केंद्रीय सचिवालय, नागरी प्रशासन सेवा के कर्मचारियों ने एकता दिखायी और जंग लड़ा। सन् १९६० और सन् १९६८ में रेलवे-कर्मचारियों में जो एकता का अभाव दिखाई दिया वह सन् १९७४ की हड़ताल के समय दूर हो गया। परन्तु जिन्होंने सन् १९६८ में एकता का परिचय दिया था, वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय उस

एकता का परिचय नहीं दे सके। इसीलिये १५ मई को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हो पाई। १० मई के पहिले आपस में मतभेद रखनेवाले दो अॅक्शन कमेटियों के सदस्य हम लोगों से मिले थे। हम लोगों ने उन लोगों से कहा, “रेलवे कर्मचारी एकता के साथ लड़ रहे हैं अतः आप लोग भी कोई समान मांग लेकर एक न्यूनतम समान कार्यक्रम पर अंमल करे। यदि एक घन्टे ही सब मिलकर काम बन्द रखने का निर्णय लेते ह तो उसका भी सरकार पर असर पडेगा।” परन्तु दुर्भाग्य से वह नहीं हो पाया।

कर्मचारी के नाते सब एक है।

रेलवे के बाहर केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें अपने मतभेद भूल जाना चाहिए (They should try their level best to close their rank)। हर एक का राजनैतिक मतवाद अलग अलग हो सकता है परन्तु उसे ट्रेड युनियन में लाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक नॉन-पोलिटिकल लेव्हल पर ट्रेड युनियन नही चलती तब तक ट्रेड युनियन एकता होना संभव नहीं। रेलवे के बाहर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि मतभेदों को दूर रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र उसी एकता का परिचय देना चाहिये जो उन्होंने जुलाई १९६० और सितम्बर १९६८ में दिया था।

यदि वे सजग नही होते हैं तो वे याद रखें कि रेलवे कर्मचारी पिटते हैं तो वे भी बचनेवाले नही हैं। सरकार ने अभी कुछ तय नही किया है। परन्तु वह सोच रही है कि कड़ी नीति या नरम नीति अपनायी जाय। उसे निर्णय करने में थोडा समय लगेगा। क्योंकि आज जो तानाशाही हुकूमत चल रही है, वह यदि २० लाख रेलवे कर्मचारियों को दबा सकती है, तो आप लोगों की गिनती कम है, क्या हालत होगी आप लोगों की, जरा सोचिये।

अतः यह सोचकर कि यह जो लडाई है वह केवल रेलवे कर्मचारियों की न होकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों की है। यही नही,

राज्य सरकारी कर्मचारियों की भी हैं। मैं तो यहा तक कहूंगा। यह लडाई सभी मजदूरों की हैं। इसलिये सभी विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी एकता कायम करने की दिशा मे यत्न करते हुए, रेलवे कर्मचारियों के साथ कन्धे से कन्धा भिडाकर खडे होने के लिये सिद्ध रहें।

कर्मचारियों की एकता की अभाव में यदि आज सरकार रेलवे कर्मचारियों की पिटाई कर सकती हैं तो वह दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी। सरकार अलग अलग सबको पकड कर दबा सकती है। इसमे सबकी बर्बादी है। हडताल वापस लिये जाने के कारण रेलवे-कर्मचारी हिम्मत नही हारे है। उनका मनोबल आज भी कायम है।

सरकार द्वारा अंग्रेजी शासन का अनुकरण

सरकार आगे क्या करेगी यह तो कोई ज्योतिषी ही बतला सकता है। परन्तु सरकारी कार्यविधि-मोडस् ऑपरेंडाइ की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेसी सरकार उन्हीं परम्पराओं को आगे चला रही है जिन पर अंग्रेज हुकुमत चलती रही। आंदोलनों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार और कांग्रेसी सरकार के रूख में समानता प्रकट होती है। जब गांधीजी ने सत्याग्रह आंदोलन छेडा था तब हजारों लोगों को जेल मे ठूस दिया गया। सब लोग जेल में बन्द किये जाने के कारण किसी के साथ वार्ता करने का सवाल ही नही रहा। आंदोलन वापस लेने के लिए भी कोई बाहर नही था। ए. आय सी. सी की मीटिंग बुलाने को भी कोई नही बचा। ऐसी परिस्थिति में महात्माजी ने जेल से संदेश भेजा, "कम से कम आंदोलन वापस ले लिया जाए।" डॉ. एम्. एम्. अणे उस समय बाहर थे। उनकी अव्यक्षता में एक औपचारिक बैठक पटना मे बुलाई गयी और प्रत्यक्ष सत्याग्रह समाप्त होने के कई मास बाद औपचारिक रूप से सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा की गई। सत्याग्रह के उद्देश्यों को अंग्रेज सरकार भलीभांति जानती थी,

परन्तु उसे कांग्रेस की मानखण्डना (ह्यूमिलेशन) करनी थी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने 'India's Struggle' नासक ग्रंथ में लिखा है— 'Because the Britishers wanted to complete the humiliation of the Congress...' परन्तु क्या गांधीजी के आदेश पर सत्याग्रह के आंदोलन को वापस लिए जाने की हम कांग्रेस की मानखण्डना या उसके द्वारा चलाए गए आंदोलन की असफलता कहेंगे? कदापि नहीं। कुछ कालखंड बीतने पर आंदोलन को शक्ति को पहिचानते हुए अंग्रेज सरकार ने वार्ताएँ शुरू कीं। उसको जनता को यह भी दिखाता था कि उसका श्रेय शत्रुपक्ष कांग्रेस को नहीं, उसे है। उसके पश्चात् पकड़ हुआ।

सन् बयालीस के आंदोलन के समय भी सबको जेल में डाल दिया गया था। सरकार किसी के साथ वार्ता करने को तैयार नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् सत्याग्रहियों को रिहा किया जाने लगा। लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि कांग्रेस हार गयी और अंग्रेज सरकार जीती। परन्तु हम देखते हैं कि बीच में कुछ समय बीत जाने पर जब लोगों को ऐसा लगे की आगे की घटनाओं का श्रेय कांग्रेस को नहीं है, 'क्रिप्स मिशन' भारत में आया और वार्ताओं का दौर शुरू हो गया। हरेक आंदोलन के प्रति अंग्रेज सरकार की यही नीति रही।

कांग्रेस सरकार भी ठीक उसी नीति पर चल रही है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबन्दी लगायी गयी तब आंदोलन हुआ। २१ जनवरी १९४९ को आंदोलन वापस लिया गया। सरकार ने ऐसा कुछ दर्शाया कि उसे उसके विषय में कुछ विचार ही नहीं करना है। कुछ समय बीतने के बाद खटाखट कार्रवाई शुरू हो गयी। छह मास के बाद बँन हटा। शायद सरकार सोचती है कि बीच में समय व्यतीत नहीं हुआ तो श्रेय विपक्षी को मिलता है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि कोई कदम नहीं उठाया तो बगावत हो सकती है, इसलिए उसे कुछ काल बीतने पर कदम उठाना ही पडता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलनों के समय सरकार के इस रवैय का अनुभव हुआ है। जुलाई १९६० में हुए सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का सरकार ने कड़ाई से दमन किया था। आंदोलनों पर बँन लगाने की भी बात कही गयी। यह भी कहा गया कि इससे दस-पचास साल तक कर्मचारी अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकेंगे। परन्तु कुछ समय बीतने के बाद 'जॉइन्ट कन्सलटेशन कमिटी' का निर्माण हुआ। यह उस हड़ताल का ही परिणाम है।

सितंबर १९६८ में हुई हड़ताल के समय भी सरकार ने यही रुख अपनाया था। परन्तु तीसरे 'पे कमिशन' की नियुक्ति उसी आंदोलन का फल था। यदि सरकार को स्वेच्छा से वैसा करना होता तो वह पहिले ही कोई कदम उठाती। परन्तु उसने वैसा नहीं किया था। आंदोलन के कारण ही वह मजबूर हुई।

इन उदाहरणों से भलो भांति विदित हो जाता है कि सरकार आगे क्या करनेवाली है। वह कुछ समय बीतने देगी ताकि हड़तालियों का हौसला न बढे। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा का शिकार होकर, वह कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड न करे।

देश विद्रोह की कगार पर

आज सारे देश में विद्रोह की भावना फैल रही है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी शक्ति है। अतः हम मानते हैं कि हमारे और सरकार के बीच कितने ही मतभेद क्यों न हों, देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगडनी चाहिए। लंबी अवधि की इस हड़ताल के समय हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएँ नहीं हुईं। हम बड़ी विनम्रता के साथ कह सकते हैं कि उसका बहुत कुछ श्रेय भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ को है। जिस दिन हड़ताल वापस लीं गयी, उसके दूसरे दिन हमारे मध्य रेलवे

कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं के साथ सेन्ट्रल रेलवे के प्रवक्ता ने बात-चीत के दौरान कहा कि हमारे पास ये समाचार है कि यदि भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस आंदोलन में नहीं होता तो बड़े पैमाने पर तोडफोड की घटनाएँ होतीं, परन्तु उनके कारण ही वे नहीं हो पायी ।

सरकार की दमन-नीति नहीं चलेगी

कर्मचारियों ने तो समझदारी से काम लिया है, अब सरकार को बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा । यदि वह यह सोचेगी कि उसने कर्मचारियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वह उन्हें दबा सकेगी, तो वह उसकी भूल होगी । दुनिया का इतिहास बतलाता है कि जो दूसरों की कुचलने या दबाने के पक्षपाती होते हैं वे स्वयं तबाह हो जाते हैं । ईसा मसीह ने कहा है कि 'जो तलवार के सहारे उठते हैं, वे तलवार के ही वार से खत्म हो जाते हैं ।' हमारे सरकार के साथ कितने ही मतभेद क्यों न हों, वह हमारी राष्ट्रीय सरकार है । भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय श्रम संस्था है । और हमने हमेशा यह माना है कि श्रम-संस्था नॉन-पोलिटिकल लेव्हल पर ही रहनी चाहिए । हमने यह भी कहा है कि भारतीय मजदूर संघ के भारत सरकार के साथ संबंध वैसे ही रहेंगे, फिर वह किसी भी राजनैतिक दल की क्यों न हों, जैसे किसी राष्ट्रीय श्रमिक संस्था के राष्ट्रीय सरकार के साथ होने चाहिए ।

ट्रेड यूनियन अपक्ष हो

हम ट्रेड-यूनियन के नाते नॉन-पोलिटिकल हैं और दिल्ली सिंहासन पर आसीन होनेवाले लोग वास्तव में 'कॅज्युअल लेबरर्स' हैं । यहाँ उपस्थित कर्मचारी किसी न किसी सरकारी विभाग में १५-२० साल से काम कर रहे होंगे । इस कालावधि में अनेक विभागों में कितने ही मंत्री आए और गए परन्तु आप अपने ही विभागों में जमे

हुए हैं। वास्तव में देश की कोई स्थायी सरकार होती हो तो वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। “Central Government employee constitutes the permanent Government of the country and Ministers constitute the temporary Government of the country.”

हम चाहते हैं कि देश सुदृढ रहे। सरकार की नीतियाँ स्वस्थ रहे। लोगों को काम करने की प्रेरणा प्राप्त हो। उत्पादन और उत्पादकता बढ़े। लोगों को ऐसा लगे कि हम सब मिलकर देश का निर्माण करने जा रहे हैं। हम अपना खून-पसीना बहाकर भारत वर्ष को आर्थिक दृष्टि से, सैनिकी-शक्ति से, सैद्धान्तिक दृष्टि से इतना मजबूत बनाएँगे कि दुनिया को भी उसका श्रेष्ठत्व मानना पड़े, इस प्रकार का विशाल ध्येय सब के सामने होना चाहिए। इस तरह का वैचारिक नेतृत्व देने की नैतिक जिम्मेवारी हम सब पर है।

सरकार अपने कर्तव्य का पालन करे

दुर्भाग्य से अपने देश में यह अवस्था है कि जो शासन में है उन्हें ही सामाजिक नेता माना जाता है। अतः उनकी जिम्मेवारी है कि वे देश में स्वस्थ वायुमंडल निर्माण करें। परन्तु अपने कर्मचारियों के साथ लड़ाई लड़ने से वैसा वायुमंडल कदापि निर्माण नहीं हो सकेगा। कर्मचारियों ने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को घबका न पहुंचे इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हड़ताल के वापस लिए जाने के समय 'इकॉनॉमिक टाइम्स' ने लिखा था कि सरकार हानि के जो आंकड़े बतलाती है वह गलत हैं। वास्तव में उसे १७०० करोड़ रु. की हानि उठानी पड़ी है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बात का विचार कर ही हड़ताल वापस ली है। अन्यथा कई क्षेत्रों में

हड़ताल उत्तम रीति से चल रही थी, और उसे आगे चलाया भी जा सकता था। सरकार यदि कर्मचारियों की भावनाओं का विचार नहीं करेगी तो सारे देश में बगावत की भावना पैदा होकर अराजकता की स्थिति निर्माण हो सकती है। और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार पर ही रहेगी।

सरकार पहल करे

इसके साथ ही एक बात तो सही है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच भले ही झगड़े हों, दोनों एक ही देश के हैं, दोनों की एक ही जिम्मेदारी है, दोनों को इस राष्ट्र को संवारना है। इस संयुक्त जिम्मेदारी को समझते हुए, यदि सरकार व्यवहार करती है तो रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, खेतीहर मजदूर, राष्ट्र-स्थान के प्रयास में पूरी ताकद के साथ सरकार का समर्थन करेंगे। अब पहल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है *Now the ball is in the Government's Court.*

सरकार को अब निर्णय करना होगा कि क्या वह स्वस्थ नीतियों पर चलते हुए, मजदूरों की प्रेरक शक्तियों को जागृत करते हुए, मजदूरों की राष्ट्रीय-वृत्ति को आवाहन करते हुए, उनके तथा जनता के सहयोग से राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहती है, या सत्ता की उन्मत्तता में आपस में लड़भिड़ कर देश को रसातल में पहुंचाना चाहती है।

सरकार जो निर्णय लेगी उसका उचित जबाब रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिया जायगा। यदि सरकार अपना कर्तव्य ठीक ढंगसे निभाती है तो रेलवे कर्मचारी भी उसी कर्तव्य-निष्ठा का परिचय देगा। यदि सरकार अपनी बदनियत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी तो उसे सही राह पर लाने की ताकद का परिचय देने के लिए रेलवे-कर्मचारी आगे आएगा।

नये अध्याय का प्रारंभ

रेलवे कर्मचारियों की यह हड़ताल अनोखी और अभूतपूर्व रही है। इस हड़ताल के पश्चात् एक नया अध्याय प्रारंभ होनेवाला है। मजदूर अपनी शक्ति और एकता का अनुभव कर रहे हैं। सरकार इसे समझेगी तो, वह उनकी सहायता से राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। परन्तु यदि वह नहीं समझेगी तो राष्ट्र को विनाश की ओर ले जाने की स्वतंत्रता हम सरकार को नहीं दे सकते हैं। अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए जो सरकार अपने कर्मचारियों को सताना चाहती है, दबाना चाहती है वह देश को विनाश की ओर ले जाती है। ऐसी सरकार को किस तरह बदलना चाहिए यह भी देश का मजदूर जानता है। अब तो सरकार को पहल करना है। हम देखेंगे कि उसकी क्या नीति रहती है। जैसी उसकी नीति होगी वैसी हमारी प्रतिक्रिया रहेगी। हम सहयोग करना चाहते हैं। हम रचनात्मक सहयोग देंगे। *Our will be responsive cooperation.* इसे ध्यान में रखकर ही सरकार अपनी नीतियां तय करे। हम लोग भी पूरे मजदूर-आंदोलन में संयुक्त मोर्चा निर्माण करने की दिशा में प्रयत्नशील रहें।

मुद्रक : मा. बा. मोडक, माधव प्रिंटिंग प्रेस, नबी शुक्रवारी, नागपूर-२.

प्रकाशक : अॅड. गोविंदराव आठवले, गिरीपेठ, नागपूर.

भारतीय मजदूर संघ, विदर्भ
मंदिर मार्ग, सीतावडी, नागपूर १२५